राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर।

क्रमांक –मुख्या/याता./पी–2 (जी)/परि/20/594 दिनांकः– 03-03-2020

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता./लेखा/(32)2013/538 दिनांक 31.07.2013 एवं 14/07.01.2016 से महिला यात्रियों हेतु निगम द्वारा संचालित विभिन्न श्रेणी की बसों में सीटें आरक्षित किए जाने की प्रभावी व्यवस्था है।

उपरोक्त व्यवस्था प्रभावी किये जाने के उपरान्त भी महिला यात्रियों को आरक्षित सीटें प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। अतः आदेश दिनांक 31.07.2013 एवं 07.01.2016 के क्रम में सभी सम्बन्धितों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि महिला यात्रियों हेतु निम्नानुसार आरक्षित की गयी सीटें उन्हें उपलब्ध हो इसकी पालना सुनिश्चित की जावे :–

क्र.सं.	वाहन श्रेणी	आरक्षित सीट का विवरण
01.	साधारण एवं द्रुतगामी	सीट संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 (06 सीटें)
02.	मिडी बस	सीट संख्या 1, 2, 5, 6 (04 सीटें)
03.	सुपर लग्जरी, वातानुकूलित, वातानुकूलित स्लीपर, डीलक्स (नॉन एसी एवं स्लीपर) एवं सेमी डीलक्स	सीट संख्या 9, 10, 11, 12, (04सीटें)

साथ ही महिला यात्रियों की आरक्षित सीटों की व्यवस्था निम्नानुसार सुनिश्चित करें :–

निगम की समस्त श्रेणी की बसों में वाहन के प्रथम प्रस्थान बिन्दु/स्थान पर वाहन प्रस्थान के निर्धारित समय से आधा घण्टे पूर्व से आरक्षित सीट एवं प्रस्थान समय तक वाहन में सीट उपलब्धता की स्थिति में समस्त सीटों का आवंटन किया जावें लेकिन महिला आरक्षित सीट के आरक्षण के समय प्रथमतः यह प्रयास किया जावे कि अनारक्षित सीटों पर आवंटन सुनिश्चित हो।

आरक्षित महिला सीटों के नम्बर एवं महिला के प्रतीक का स्टीकर अलग से आपको उपलब्ध करवायें जा रहे हैं। उक्त स्टीकर को आरक्षित महिला सीटों पर लगवाया जाना एवं महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों का रंग भी गहरें गुलाबी रंग में करवाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही बस में कट्रोल रूम से सम्बन्धित स्टीकर भी आपको उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

मोबाईल नं. 9549456745, टोल फ्री नं. 1800–2000–103,
ईमेल आईडी emcomplaint.rsrtc@rajasthan.gov.in.

महिला यात्रियों की यात्रा सुखद हो उक्त के मध्यनजर इन आदेशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें। यदि महिला यात्रियों की आरक्षित सीट के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी, शीघ्र ही चालक/परिचालकों को सम्बोधित एक भावनात्मक अपील भी भेजी जा रही है, जो सभी को देना सुनिश्चित करें।

(नवीन जैन)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned by CamScanner